



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265072
CG-DL-E-30072025-265072

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3413]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947

No. 3413]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3496(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के सराईकेला खरसावां जिले में 33वें कि.मी. पर पुल का निर्माण के NH-220 के कि.मी. 32.482 से कि.मी. 32.975 तक के भू-खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डीएलएओ सरायकेला खरसावां को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के सराईकेला खरसावां जिले में 33वें कि.मी. पर पुल का निर्माण के NH-220 के कि.मी. 32.482 से कि.मी. 32.975 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: सराईकेला खरसावां		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोर्बिंदपुर (राजनगर)					
गांव का नाम: बनकटी					
1	368	सरकारी	डुंगरी	0.0332999 (एकर)	0.0134763
2	369	निजी	दोन तीन	0.1119 (एकर)	0.0452853
3	371	निजी	दोन तीन	0.0368999 (एकर)	0.0149332
4	372	निजी	दोन तीन	0.0478 (एकर)	0.0193444
5	373	निजी	पुरानी परती	0.0270001 (एकर)	0.0109268
6	374	निजी	दोन तीन	0.0249 (एकर)	0.0100769
7	380	सरकारी	डुंगरी	0.0938 (एकर)	0.0379603
8	384	निजी	दोन तीन	0.0278 (एकर)	0.0112505
9	385	सरकारी	पुरानी परती	0.181 (एकर)	0.0732497
10	386	निजी	दोन तीन	0.0344 (एकर)	0.0139215
11	387	सरकारी	पुरानी परती	0.042 (एकर)	0.0169972
12	388	निजी	दोन दो	0.0316 (एकर)	0.0127883
13	396	सरकारी	पुरानी परती	0.0058 (एकर)	0.0023472
14	416	सरकारी	सड़क	1.197101 (एकर)	0.4844597
15	567	सरकारी	नाला	0.1224 (एकर)	0.0495346
Total					0.8165519

[फा. सं. CENH/Land Acquisition-03/25/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3496(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building, Construction of Bridges at 33rd km of NH-220 in the stretch of land from Km. 32.482 to Km. 32.975 in the district of SARAIKELA KHARSAWAN in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DLAO Seraikella kharsawan in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Construction of Bridges at 33rd km NH-220 in the stretch of land from Km. 32.482 to Km. 32.975 in the district of SARAIKELA KHARSAWAN in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND			District: SARAIKELA KHARSAWAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gobindpur (Rajnagar)					
Village: Bankati					
1	368	Government	Dungri	0.0332999 (Acre)	0.0134763
2	369	Private	Don iii	0.1119 (Acre)	0.0452853
3	371	Private	Don iii	0.0368999 (Acre)	0.0149332
4	372	Private	Don iii	0.0478 (Acre)	0.0193444
5	373	Private	Purani Parti	0.0270001 (Acre)	0.0109268
6	374	Private	Don iii	0.0249 (Acre)	0.0100769
7	380	Government	Dungri	0.0938 (Acre)	0.0379603
8	384	Private	Don iii	0.0278 (Acre)	0.0112505
9	385	Government	Purani Parti	0.181 (Acre)	0.0732497
10	386	Private	Don iii	0.0344 (Acre)	0.0139215
11	387	Government	Purani Parti	0.042 (Acre)	0.0169972
12	388	Private	Don ii	0.0316 (Acre)	0.0127883
13	396	Government	Purani Parti	0.0058 (Acre)	0.0023472

14	416	Government	Road	1.197101 (Acre)	0.4844597
15	567	Government	Nala	0.1224 (Acre)	0.0495346
Total					0.8165519

[F. No. CENH/Land Acquisition-03/25/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director